G:\RSWC_AdmIIO\ADM\Misc\Bonus-05.11.2020.doc

राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम
(सरकार का प्रतिष्ठान)
प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

क्रमांक : प्र.का. / प्रशा. / एफ.15(बोनस / एक्सग्रेशिया)2010 / 12883 दिनांक : 10-11-2020

कार्यालय आदेश

निगम के ऐसे कर्मचारी जो कि बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत बोनस प्राप्त करने के पात्र है अर्थात जिनका वेतन (वेतन + महंगाई भत्ता) रूपये 21000 / – तक है, को वर्ष 2019–2020 की अवधि के लिये अधिकतम वेतन 7000 / – प्रतिमाह मानते हुये 20% (बीस प्रतिशत) की दर से बोनस भुगतान किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते है।

निगम के जो अधिकारी एवं कर्मचारी बोनस भुगतान अधिनियम,1965 की सीमा में नहीं आते है, को बोनस की ऐवज में वर्ष 2019–2020 के लिये 20%(बीस प्रतिशत) की दर से अनुग्रह (Exgratia) राशि का भुगतान करने के आदेश निम्नानुसार प्रसारित किये जाते हैं।

एक्सग्रेशिया के भुगतान हेतु इसकी गणना राजकीय उपक्रम विभाग के पत्र क्रमांक 610 दिनांक 16.08.2016 के अनुसार वेतन (वेतन + महंगाई भत्ता) रूपये 3500 / – प्रतिमाह मानते हुये अधिकतम राशि रूपये 8400 / – की जायेगी। जिन कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जावेगा, उन्हें अनुग्रह (Exgratia) राशि देय नहीं होगी।

निगम में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों / कर्मचारियों को उक्तानुसार बोनस / अनुग्रह राशि या नियमानुसार उन्हें देय प्रतिनियुक्ति भत्ते में से इस आदेश के जारी होने के एक माह के अन्दर–अन्दर किसी एक को चुनने का अधिकार होगा।

यह सक्षम अधिकारी से अनुमोदित है।

(राज वर्धन)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
3. सहायक लेखाधिकरी (भुगतान), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
4. समस्त वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक / भण्डार प्रबन्धक / भण्डार प्रभारी, राज्य भण्डारगृह।
5. नोटिस बोर्ड।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)